भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1427
10 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

न्यूरोलॉजिस्टों की कमी

1427. श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री धर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कुल कितने न्यूरोलॉजिकल रोगी हैं और न्यूरोलॉजिस्टों एवं न्यूरोलॉजिकल रोगियों का वर्तमान अनुपात क्या है;
(ख) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान देश में न्यूरोलॉजिकल रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने देश में न्यूरोलॉजिस्टों की कमी के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा देश में न्यूरोलॉजिस्टों की भारी कमी को दूर करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या देश के 50 प्रतिशत से अधिक न्यूरोलॉजिस्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आदि जैसे प्रमुख महानगरों में केंद्रित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा देश में न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित रोगियों की दुर्दशा को कम करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (च): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा दी गई सुचना के अनुसार, देश में 94 मेडिकल कॉलेजों में डीएम न्यूरोलॉजी की 358 सीटें हैं। गत 5 वर्षों में इसमें 114 सीटों की वृद्धि हुई है। देश में न्यूरोलॉजिकल रोगियों की कुल संख्या और न्यूरोलॉजिस्टों तथा न्यूरोलॉजिकल रोगियों के बीच के वर्तमान अनुपात से संबंधित आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग्य जनशक्ति की उपलब्धता को बढ़ाने के मद्देनज़र, सरकार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) के तहत उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करने और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) विभागों के सुदृढ़ीकरण/स्थापना के लिए जनशक्ति विकास की स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है। आज की तारीख तक, देश में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में 25 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और 47 स्नातकोत्तर (पीजी) विभागों के सुदृढ़ीकरण/स्थापना के लिए सहायता प्रदान की गई है।

सरकार देश के अल्पसेवित क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की प्रदायगी के लिए जनशक्ति की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए तीन केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों नामत: राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुर, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम और केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची में डिजिटल अकादमियों की स्थापना के माध्यम से सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या के विभिन्न श्रेणियों के चिकित्सा और परा- चिकित्सा पेशेवरों का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय उपशामक परिचर्या कार्यक्रम के तहत जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपशामक परिचर्या सेवाओं की प्रदानगी के लिए चिकित्सा अधिकारियों और स्टाफ नर्सों के लिए प्रशिक्षण माड्यूल तैयार किए गए हैं। प्रशिक्षकों के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण तत्पश्चात जिला स्तर पर तथा इसमें निम्न स्तर पर भी विभिन्न राज्यों द्वारा प्रशिक्षणों के आयोजन किए जाते हैं। एनएमएचपी के तहत मिर्गी (एजिलेप्सी) और मनोरोग संबंधी अन्य विकारों से संबंधित मुद्दों का डीएमएचपी इकाईयों की ओपीडी, आईपीडी और आउटरीच सेवाओं के माध्यम से समाधान किया जाता है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के तहत एमएनएस (मानसिक न्यूरोलॉजिकल एवं मादक पदार्थ सेवन संबंधी विकार) से संबंधित विकारों का समाधान भी न्यूरोलॉजिकल विकारों के अंतर्गत किया जाता है।

सरकार ने देश में गुणवत्तापरक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक पहुंच में और सुधार लाने के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को 'राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम' की शुरूआत की है। 31.01.2023 की स्थिति के अनुसार 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 36 टेली-मानस प्रकोष्ठों की स्थापना की है और इन प्रकोष्ठों ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू कर दी हैं। 31.01.2023 की स्थिति के अनुसार, कुल 43,861 कॉलों का समाधान हेल्पलाइन नंबर पर किया गया है।

*****